न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 185/2017 (2017/00185)

1. धर्मेन्द्र पुत्र बिशनलाल जाति जाट उम्र 28 वर्ष निवासी सांवतसर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।
2. अयुब खान पुत्र बाबू खां उम्र 36 वर्ष जाति मुसलमान निवासी गुलाब बिल्डीग के सामने चमडाघर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।
3. शब्बीर मोहम्मद पुत्र सद्दीक मोहम्मद उम्र 32 वर्ष निवासी व्यापारिक मौहल्ला हाल निवासी चमडाघर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान । प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान। अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थीः— श्री रामदेव गुर्जर

वकील अप्रार्थी :— श्री पैरोकार सरकार दिनांक 21.08.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(अ), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इसलिए वाद के साथ यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण की सयुक्त कब्जे व उपयोग—उपभोग कि आराजी कि भूमि ग्राम मदनगंज पटवार क्षेत्र मदनगंज में अवस्थित है। जिसके खसरा नम्बर व रकबा व किस्म निम्न प्रकार से है खसरा संख्या 231, 231, 232 कुल किता 03 कुल रकबा 15 बीघा 05 बीस्वा। खसरा नम्बर 231 व 232 में प्रार्थीगण व अन्य व्यक्तियों के मकानात व चार दिवारी करके बाडा निर्मित होकर पूर्व से अर्थात 10—15 वर्षों से अधिवास कर रहे है। जिसपर स्थानिय निकाय द्वारा भौतिक सुविधाऐ उपलब्ध हो चुकि है एवं खसरा नम्बर 230 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थीगण सयुक्त रूप से काबिज काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजी स्थानिय निकाय में हस्तानान्तरित कि गयी है। परन्तु वर्णित आराजी की किस्म में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उपरोक्त वर्णित आराजी स्थानिय निकाय में सशर्त हस्तानान्तरित दिनांक 12.04.2002 को की गयी है जिसमें शर्त संख्या 5 में उल्लेखित किया गया है कि यह आदेश हस्तानान्तरित कि गयी भूमि पर यदि किसी प्रकार का वैध हक अथवा वैध हक अर्जित होने योग्य है तो उसको प्रभावित नहीं करेगा। इस बाबत् माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर में प्रकरण संख्या 465/2011 दिनांक 24.10.2011 को हस्तानान्तरित किये गये आदेश दिनांक 12.04.2002 को खसरा नम्बर 231, 232 बाबत् चुनौती दे रखी है जिसकी आगामी पेशी दिनांक 04. 10.2017 है। उक्त आराजी में हस्तानान्तरण के पूर्व ही पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश कि गयी जिसमें क्रम संख्या 34, 35 पर अंकित किया गया है कि उक्त आराजी में मकानात, व वाणिज्यक अतिक्रमण होने का अंकन है इस कारण

उपखण्ड अधिकारी

। हस्तानान्तरण कि गयी भूमि पर निकाय का भौतिक रूप से आधिपत्यविहिन है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व अन्य व्यक्तियों के मकानात व चारदिवारी होकर बाडे निर्मित किये गये है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के खसरा नम्बर 230 पर प्रार्थीगण सतत् रूप से काबिज काश्त है प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी में सद्भाविक कृषक है जिस पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी 3–4 दशक से काबिज काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण कमजोर तबके की श्रेणी के व्यक्ति है प्रार्थीगण के पास अधिवास करने एवं कृषकिय कार्य करने कि अन्य भूमि नहीं है आय का मुख्य श्रोत वर्णित आराजी ही है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप–6 विभाग क्रमांकः/प.06 (39) राज.–6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06.2003 को श्रीमान् बी.एस. मीणा साहब शासन उप सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्षों का कब्जा रिकोर्ड से प्रमाणित होना चाहिए इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षों के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे। जब कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी विगत 3–4 दशक से उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त होने का सिद्ध है। इस कारण से प्रार्थीगण के उपरोक्त आराजी में खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.–9 (6) राज. –5/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 में अधिनियम पारित किया गया है कि जो विगत 10 वर्षों से सिवायचक, चरागाह भूमि में काबिज काश्त होने का व लगातार अतिक्रमण करने के कारण नियमन के अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त हैं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राज्य सरकार द्वारा पारित समय समय पर परिपत्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की परिभाषा में इंगित किया गया है। राज्य सरकार का समय समय पर परिपत्र जारी करने का उद्देश्य जटिल विधि के सिद्धान्तों को सरलीकरण करके आम काश्तकारों को लाभ पहुंचाने की मंशा है जिससे आम काश्तकारों को आजीविका के स्त्रोत प्रदान करना है। इस प्रकार प्रार्थीगण सद्भाविक रूप से श्रीसरकार से अपना अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण सद्भाविक रूप से वर्णित आराजी में निर्मित मकानात व बाडे बनाकर एवं खसरा नम्बर 230 में काबिज काश्त करते आ रहे है। इस कारण से प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजी में खातेदार घोषित होने के कानूनन अधिकारी है। एवं प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजी में अस्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जावें कि निर्मित मकानात की तोड–फोड व ध्वस्त नहीं करे एवं कृषकिय कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर विगत 3–4 दशक से निरन्तर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारीयो व अन्य के कच्चे पक्के मकानात व बाडे व कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को उक्त कब्जे काश्त व बने मकानात को तोड–फोड एवं भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगा। प्रार्थीगण सद्भाविक रूप से वर्णित आराजी में निर्मित मकानात व बाडे बनाकर एवं खसरा नम्बर 230 में काबिज काश्त करते आ रहे है। इस कारण से प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजी में खातेदार घोषित होने के कानूनन अधिकारी है। एवं प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजी में अस्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जावें कि निर्मित मकानात की तोड–फोड व ध्वस्त नहीं करे एवं कृषकिय कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर विगत 3–4 दशक से निरन्तर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारीयो व अन्य के कच्चे पक्के मकानात व बाडे व कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण उक्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

मि से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को उक्त कब्जे काश्त व बने मकानात को तोड–फोड एवं भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगा। अप्रार्थी स्वयं एवं इनके नोकर, चाकर, अधिनस्थ कर्मचारी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णित पूर्वजो के समय से कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजी राजस्व ग्राम मदनगंज पटवार क्षेत्र मदनगंज के वर्तमान खसरा नम्बर 230, रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 231 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 232 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे एवं प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त करने में बाधा कारित नहीं करे एंव मौके पर बने मकानात व बाडा को ध्वस्त नहीं करनें हेतु अप्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.09.2017 को दर्ज किया तथा नोटिस अप्रार्थी को वास्ते जाहिर करने की वजह बाबत जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम किशनगढ बी के खसरा संख्या 230, 231 232 की भूमि वर्तमान में नगर परिषद के नाम दर्ज है तथा प्रकरण में राजहित प्रभावित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दिनांक 19.08.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का.अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है जिससे वादअधीन भूमि में उसका हक जाहिर हो, जबकि वादअधीन भूमि राजकीय भूमि (नगर परिषद के नाम) है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज नहीं है, वादअधीन भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि (नगर परिषद के नाम) है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः– अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है वादअधीन भूमि राजकीय भूमि (नगर परिषद के नाम) है जो कि अप्रार्थी के नाम दर्ज है, अपूरणिय क्षति अप्रार्थी का कारित है।

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणिय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहें है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

21/8/25

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)